17.07.2023

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 18 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 27,1945)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्री विद्यारतन भसीन, छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के सदस्य।

(2) श्री भानुप्रताप सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. मार्च, 2023 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

4. मार्च, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267--क के अधीन मार्च, 2023 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बस्तर के लघु वनोपज सहकारी समिति बनियागांव के प्रबंधक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, मुंगेली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों की सड़कें जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

9. वित्तीय वर्ष 2023–2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2023–2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

10. मंत्रि–मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक,2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक,2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 17 जुलाई, 2023